

Chapter-2

(कम्पनी का निगमन और इससे सम्बन्धित मामले)
(Incorporation of company and Matters
Incidental there to)

DATE

PAGE NO.

कम्पनियों और प्रमोटरों के निगमन का परिचय :- इसमें धारा 3-22 के साथ-साथ कम्पनि निगमन नियम 2014 शामिल हैं।

जो व्यक्ति कंपनी को शामिल करने के लिये प्रचार गतिविधियाँ करते हैं उन्हें आमतौर पर प्रमोटर के रूप में जाना जाता है।

कम्पनी अधिनियम 2 की धारा 2(69) → 4 (conditions)

- ① विवरणिका में प्रमोटर के रूप में किसी सन्दर्भित किया गया (या)
- ② वार्षिक रिटर्न में कम्पनी द्वारा प्रमोटर के रूप में कैसे पहचाना गया (या)
- ③ कम्पनी के मामली में जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अग्रंथारक, निदेशक, या अन्यथा के रूप में नियन्त्रण है (या)
- ④ जिनकी सलाह या निर्देश से कम्पनी का निदेशक मंडल कार्य करने के आदि हैं लेकिन उन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जायेगा - पैरोवर क्षमता, जैसे वकील तकनीकी या कायलिक विरोधन के रूप में कार्य कर रहा हो।

Note :

प्रमोटर बनने के लिये किसी को कम्पनी के प्राथमिक गठन से जुड़ा होना जरूरी नहीं है (जो बाद में इसकी बूँजी को प्रवाहित करने की व्यवस्था करने में मदद करता है) → प्रमोटर (✓)

कम्पनी का गठन धारा (3)

कम्पनी < विधानमंडल के विशेष अधिनियम (या)

कम्पनियों के अधिनियम (2013)

एक सार्वजनिक कम्पनी - (1) या अधिक व्यक्ति	उपधारा 2 से धारा 3 → कम्पनियाँ शामिल की जा सकती हैं - शेयरों द्वारा सीमित गारंटी द्वारा असीमित देयता वाली
एक निजी कम्पनी - (2) या अधिक व्यक्ति	
एक व्यक्ति कम्पनी (1) व्यक्ति द्वारा	

कुछ मामलों में सदस्य जमीन रूप से उत्तरदायी होते हैं -

(न्यूनतम सदस्यता में कमी द्वारा 3A)

सार्वजनिक और निजी कंपनी के मामले में कंपनी के सदस्यों की संख्या कमरा (1) और (2) से कम हो जाती है -

ऐसी कंपनी संसद सदस्यों की कम संख्या के साथ 6 महीने से अधिक समय तक कारोबार करती है -

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो उस 6 महीने के बाद व्यवसाय करते हैं वह इस तथ्य से अवगत है कि व्यवसाय कम सदस्यों के साथ किया जाता है -

ऐसे सदस्य उस समय के दौरान (6 months के बाद) करार किये गये कंपनी के सभी प्रयोगों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होते हैं -

कंपनी का निगमन (द्वारा 7)

रजिस्ट्रार के पास दस्तावेज और जानकारी शामिल करना (उप-द्वारा 1) →

कंपनी के पंजीकरण के लिये - एक आवेदन उस रजिस्ट्रार के पास दायर किया जायेगा। जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय (SPICE + INC-32) (देशीय कार्यालय) स्थित होना प्रस्तावित है।

विधिवत हस्ताक्षरित एसोसिएशन का स्थापन और एसोसिएशन के लेख -

MOA (INC-33) और (AOA INC 34) MOA के सभी ग्राहकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा (INC-8) की निगमन के सम्बन्ध में अधिनियम एवं नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया।

प्रत्येक ग्राहक को - अपना नाम, पता, विवरण और व्यवसाय यदि कोई हो जोड़ना होगा (कम से कम 1 ग्राहक की उपस्थिति में जो हस्ताक्षर की स्थापना करेगा) हस्ताक्षर करेगा अपना नाम, पता, विवरण और व्यवसाय यदि कोई हो जोड़ेगा।

अनपठ - अंग्रेजी का निशान या निशान लगायेगा जिसे उसके लिये लिखने वाले व्यक्ति द्वारा वर्णित किया जायेगा (जो ग्राहक के नाम निशान के आगे या नीचे रखेगा और इसे अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा (ग्राहक के नाम के सामने उसके द्वारा लिये

पैसों की संख्या - लिखता ।

ग्राहक एक Corporate निकाय है :- वहाँ आपत और Association नैधी पर नि-
देशक मंडल के एक संकल्प द्वारा इस सम्बन्ध में
विधिवत निकाय कॉर्पोरेट के निर्देशक अधिकारी या कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये
जायेंगे ।

जहाँ ग्राहक एक सीमित देयता भागीदारी है :- भागीदारी के एक भागीदार द्वारा
हस्ताक्षरित किया जायेगा (सभी भागीदारी द्वारा अनुमोदित एक
प्रस्ताव द्वारा विधिवत अधिकृत होगा) ।

कम्पनी के चैरीवर और निर्देशक, प्रबन्धक या सचिव द्वारा अनुपालन की घोषणा

एक वकील, CA, Cost Accountant, या practice करने वाला कम्पनी सचिव जो
कम्पनी के गठन में लगा हुआ है or

नैधी में कम्पनी के निम्ने निर्देशक, प्रबन्धक या सचिव के रूप में नामित -
व्यक्ति ।

आपत के ग्राहकी और पहले निर्देशकी के रूप में नामित व्यक्तियों द्वारा घोषणा -

(INC(9) → 10. की किसी प्रकार, गठन या प्रबन्धन के सम्बन्ध में किसी अपराध
का दोषी नहीं ठहराया गया (- पिछले इसाली में किसी भी कम्पनी में
घोषाघड़ी या गलतफहमी या किसी भी कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया
गया हो) ।

आपत के ग्राहकी का विवरण :- नाम, (उपनाम या परिवार के नाम सहित) नवीनतम

फैरी चिपकाया गया । पितान्माता का नाम । राष्ट्रीयता (

if foreigner तो राष्ट्रीयता का प्रमाण । जन्म तिथि और स्थान (जिला और राज्य) ।
अकादमिक योग्यता एवं व्यवसाय । स्थायी धाता सं० । Subscriber की Email
and Phone No.) । स्थायी आवासीय और वर्तमान पता)

आवासीय प्रमाण जैसे - बैंक स्टेटमेंट, बिजली बिल, Telephone/Mobile बिल,
दो महीने से अधिक पुराना न हो ।

यदि ग्राहक पहले से ही किसी कम्पनी का निदेशक या प्रमोटर है तो कम्पनी के नाम से सम्बन्धित विवरण (कॉर्पोरेट पहचान सं. चाहे निदेशक या प्रमोटर के रूप में रूचि हो)

जहाँ स्थापन का ग्राहक कॉर्पोरेट निर्यात है - विवरण रजिस्ट्रार के पास दाखिल -
निकाय - नाम, Co-Corporate पहचान संख्या, पंजीकरण संख्या (यदि हो)
Co-Corporate
CLN-Global Location No. होती, पंजीकृत कार्यालय का पता या व्यवसाय का मुख्य स्थान, ईमेल ID, (यदि कम्पनी है तो बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, जिसमें अत्यवती के साथ-साथ MOA की सदस्यता लेने के लिये - प्रधिकरण निर्दिष्ट हो।

निकाय सीमित दायता भागीदारी या साझेदारी फर्म है - (सभी की सहमति -
Co-Corporate संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि) + MOA की सदस्यता के लिये प्रधिकरण की निर्दिष्ट करती है।

विदेशी निकाय कॉर्पोरेट मामले में - (विदेशी निकाय - कॉर्पोरेट के निगमन प्रमाणपत्र
(Photocopy) से सम्बन्धित विवरण (address)

पंजीकरण पर निगमन प्रमाणपत्र जारी करना → रजिस्ट्रार ^{NIC} में निगमन प्रमाणपत्र जारी करेगा।

कॉर्पोरेट पहचान संख्या → निगमन प्रमाणपत्र में उल्लिखित तिथि से रजिस्ट्रार Co-की
Co-Corporate पहचान संख्या आवंटित करेगा। (कम्पनी की विशिष्ट पहचान) (CIN) → 2 Alpha-Numeric अंकों पर आधारित विशिष्ट पहचान संख्या जिसमें 2 डेटा अनुभाग / तत्व शामिल हैं।

सभी दस्तावेजों और सूचनाओं की प्रतियों का रखरखाव →

निगमन के समय सही या गलत जानकारी देना या वास्तविक तथ्य की छुपाना (निगमन प्रक्रिया के दौरान) - बारा 447 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये उत्तरदायी

(निगमन के बाद) → कोई गलत या गलत जानकारी (अभ्यविद्वान प्रस्तुत करना) या किसी Com-की शामिल करने के लिये दायर या क्रिये गये किसी भी दस्तावेज या घोषणा में किसी Impersonation जानकारी को दिलाकर (या) किसी भी कपटपूर्ण कार्य द्वारा

प्रमोटर (447)

अधिकरण का आदेश: (Tribunal NCLT) → इस बात से संतुष्ट होने पर कि स्थिति उचित है दिखे गये आवेदन के जवाब में आदेश पारित कर सकता है जिसमें वह उचित समझे।-

सार्वजनिक हित में: - कम्पनी उसके सदस्य और लेनदारों के हित में, इसके सापन और लेखों में परिवर्तन यदि कोई हो (साहित कम्पनी के प्रवक्तृ का विनियमन) था।

- ① निर्देश: - सदस्यों का दायित्व असीमित होगा। था।
- ① कम्पनी के रजिस्टर से कम्पनी के नाम को हटाने के लिये निर्देश था।
- ① कम्पनी का समापन (ऐसा कोई भी आदेश देने से पहले) →
- ① सुनवाई का उचित अवसर
- ① अधिकरण company द्वारा किये गये लेनदेन पर विचार किया जायेगा (जिसमें दायित्व यदि कोई हो अनुवर्धित या किसी देयता का भुगतान शामिल है)।

धार्मिक वस्तुओं आदि वाली कम्पनियों का गठन (धारा - 8)

NPL - (Not for profit license) → CIN के 5वें डेटा भाग में

धारा 8(1) के तहत लाइसेंस कोन जारी और प्राप्त कर सकता है - अगर वह साबित हो जाये कि

व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक सीमित कम्पनी के रूप में पंजीकृत होने का प्रस्ताव रखता है (तो केन्द्र सरकार लाइसेंस देती है)।

उद्देश्य: - वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, धर्म, शान, पर्यावरण की सुरक्षा या ऐसी किसी अन्य वस्तु की वदला लाइसेंस का उपयोग कर कम्पनी का पंजीकरण → लाइसेंस देने के बाद

कम्पनी (निगमन) नियम 2014

के नियम 13 में निर्दिष्ट तरीके से कम्पनी के पंजीकरण के लिये धारा 8(1) के तहत रजिस्ट्रार की आवेदन किया जायेगा।

पंजीकरण के लिये आवेदन → धारा 8(1) - SPICE (INC 32)

सापन और अनुद्देश्यों में बदलाव के लिये सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है -

इसके तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता! -

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक की सौंपी गयी शक्ति) आपति आपन में परिवर्तन के लिये (और)

इसके अनुदैरी में परिवर्तन के लिये केन्द्र सरकार (Roc की शक्ति सौंपी गयी)

किसी अन्य वर्ग की कम्पनी में परिवर्तन → ① एक आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करना ② व्याख्यात्मक

व्याप्त में रुपान्तरण के कारण का विवरण दिया जाना चाहिये

विशेष प्रस्ताव की प्रमाणित (photocopy) + रुपान्तरण के अनुमोदन के लिये व्याख्या

त्मक विवरण + बैठक बुलाने के नोटिस की 1 प्रति के साथ + शुल्क + क्षेत्रीय

निदेशक फॉर्म संख्या INC-18 में एक आवेदन दाखिल करेगी।

पंजीकृत डाक या हाथ से डिलिवरी द्वारा भेजे गये नोटिस:- (तामील का

प्रमाण भी सलग्न) - कम्पनी पर अधिकार क्षेप रखने वाले मुख्य आयकर

② आयकर अधिकारी जिसका कम्पनी पर अधिकार क्षेप है। ③ चैरिटी -

कमिश्नर ④ उस राज्य का मुख्य सचिव जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय

स्थित है ⑤ केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य प्रधिकरण का कोई संगठन या

विभाग जिसके अधिकार क्षेप में कम्पनी संचालित हो रही है।

Note → इनमें से कोई (प्रधिकारी क्षेत्रीय निदेशक) को अव्यवेदन देना चाहता है

तो उसे कम्पनी की एक अवसर देने के बाद NOHce प्राप्त होने के 60 दिनों के

भीतर ऐसा करना होगा।

लारसेंस का रद्दीकरण → केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक की सौंपी गयी शक्ति)

आदेश द्वारा उस कम्पनी का लारसेंस रद्द कर सकती

होयाधड़ी, किसी भी आवश्यकता या बातों का उल्लंघन करती है जिसके अधीन

लारसेंस जारी किया जाता है। (निरस्तीकरण पर, रजिस्ट्रार रजिस्टर में कम्पनी

के नाम के सामने Pvt या Pvt Ltd लगायेगा।

सुनवाई का अवसर (उसके बाद) - कम्पनी वद कर दी जायेगी, परिसमापन या

विघटन पर अतिरिक्त सम्पत्ति उसके तदुणी दैनदारियों की सेतुबिष्ट के बाद

स्थातान्तरित की जा सकती है।

⑦ Tribunal लगा सकती है।

⑧ क्या जा सकता है इसकी आय दिवाला - दिवालियापन सेहत 2016 की धारा 224

के तहत दि० - दिवाला ० कोष में जमा की जा सकती है।

- ① पंजीकृत और समान उद्देश्य वाली कम्पनी के साथ मिला दिया जाना।
- उल्लंघन करने पर सजा, धारा (8) निर्धारित किसी आवश्यकता का अनुपालन करने में कोई चूक। - कम्पनी पर 10 lakh से 1 crore तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।, कम्पनी के निर्देशक प्रत्येक अधिकारी जो चूक करेगा 25k से लेकर 25L तक के जुर्माना से दण्डनीय
- ② कम्पनी का काम काज } चूक करने वाला प्रत्येक अधिकारी धारा 447
घोषाघड़ी से संचालित } के तहत क़रवाई के लिये उत्तरदायी होगा।

पंजीकरण का प्रभाव धारा (9)

पंजीकरण के बाद कम्पनी एक अलग कानूनी इकाई बन जाती है और अपनी नाम से सम्पत्ति रखना, समझौते करना, व मुकदमा करना/सैलना जैसे अधिकार प्राप्त कर लेती है।

धारा (4)
MOA _____ Constitution define/ charter doc.

कम्पनी का चार्टर/सेविधान है यह बताता है कि कम्पनी क्यों बनी है -
MOA उसके उद्देश्य क्या हैं वह किन किन सीमाओं में काम कर सकती है।
के मुख्य बाण्ड:-

MOA नाम बाण्ड - कम्पनी का पूरा नाम लिखा होता है } धारा 4
नाम के अन्त में Pvt लिखा होता है } 1(a) उपधारा

स्थिति बाण्ड:- कम्पनी का रजिस्टर्ड Office किस राज्य में है यह बताया जाता है (इसमें कम्पनी के ज्यूरिस्टिक्शन अधिकार का पता चलता है।

Main
Incidental } उद्देश्य बाण्ड, दायित्व बाण्ड, पूँजी बाण्ड (लागू, यदि कम्पनी शेयर पूँजी के साथ बनाई गयी हो)

- ① Association clause or Subscriptional clause (specially in OPC)
- ② नामांकन बाण्ड (OPC के मामले में)
Nomine

(MOA)

- कम्पनी गठन के लिये मौलिक दस्तावेज
- MOA की विषय वस्तु कम्पनी अधिनियम के अनुरूप होनी चाहिये।
- MOA में कम्पनी का उद्देश्य निहित है जिसके आगे उसकी कार्यवाही नहीं हो सकती।
- MOA कम्पनी अधि० २०१३ की धारा ३९९ के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज है।
- कम्पनी के साथ अनुबन्ध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह मान लिया जाता है कि उसे MOA में निहित शर्तों का ज्ञान है।
- शेयरधारकों की अवश्य पता होना चाहिये कि कम्पनी द्वारा इस धन का उपयोग किस उद्देश्य के लिये किया जा सकता है।
- कम्पनी MOA से अलग नहीं हो सकती अथवा अल्टा-नाथरस अव-
- किसी कम्पनी का MOA अधिनियम की अनुसूचि १ में तालिक A, B, C, D, E में निर्दिष्ट सेवधित रूपों में होगा।

प्रस्तावित कम्पनी के लिये नाम आरक्षित करने हेतु आवेदन (उपधारा 4) →

(SPICE + INC 32) दोष यदि कोई हो सुधार के लिये 15 दिनों के भीतर पुनः
सबमिशन की अनुमति दी जायेगी।

मौजूदा कम्पनी के बदलते नाम के लिये नाम आरक्षित रखने हेतु आवेदन
उपधारा 4

को आवेदन ^{Reserve} सेवा RUN (Reserve Unique Name) का उपयोग करके रजिस्ट्रार
कर सकता है

के सुधार के लिये 15 दिनों के भीतर पुनः सबमिशन की अनुमति
नामों और उनके शब्दों और अभिव्यक्तियों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंध
(धारा 203) →

नाम का ^{Reserve} आरक्षण (उपधारा-5) आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार आवेदन के
साथ दी गयी जानकारी और दस्तावेजों
के आधार पर अनुमोदन की तारीख से 20 दिनों की अवधि या अन्य अवधि
के लिये नाम आरक्षित कर सकता है।

₹ 1000 के शुल्क के साथ अन्य 20 दिन (कुल 40) के लिये जिसे ₹ 2000 के शुल्क
के साथ अगले 20 दिन (कुल 60 दिन) के लिये बढ़ाया जा सकता है।

रजिस्ट्रार के लेख AOA (धारा-5)

कम्पनी का आन्तरिक नियम-पुस्तक है जिसमें कम्पनी के प्रबन्धन, निदेशकों
के अधिकार, सदस्यों के अधिकार तथा बैठकों की प्रक्रिया से जुड़े सभी
नियम लिखे होते हैं।

शामिल की जाने वाली सामग्री और मामली उपधारा (1 और 2) →

कम्पनी के प्रबन्धन के लिये नियम

ऐसे मामले जो निम्नलिखित किये जा सकते हैं (कम्पनी निगमन नियम 2014)

के नियम 10 और 11 Association के लेखी की सामग्री और मॉडल प्रदान करना चाहते हैं प्रावधान:-

अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत दिये गये मॉडल फॉर्म में निर्दिष्ट मामलों को संदर्भित करते हैं।

- ① होता कि कम्पनी ऐसे अतिरिक्त मामले शामिल कर सकती है जो उसके प्रबंध की आवश्यकता पारित हो सकती है।

प्रवेश के लिये प्रावधान (उपधारा 3 से 5) →

अनुच्छेद में कुंसाते के प्रावधान हो सकते हैं (उपधारा-3) →

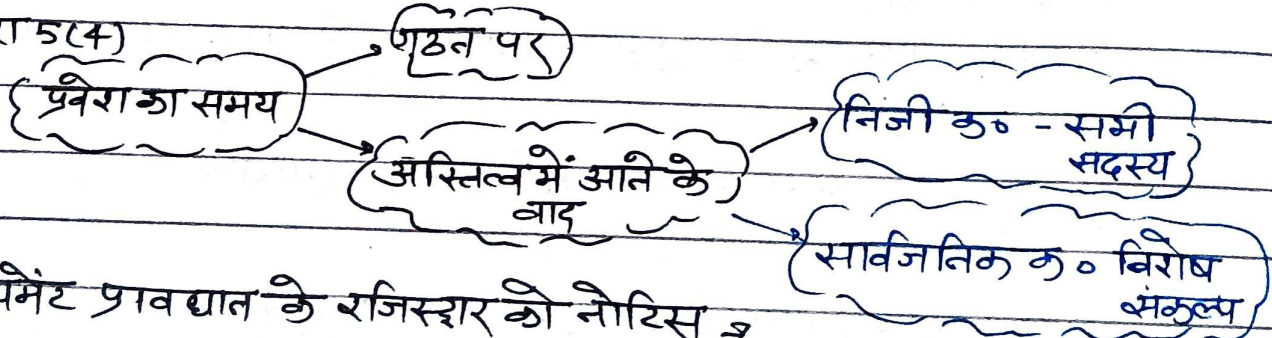
विशेष संकल्प के मामले में लागू होने वाली बातों की तुलना में अधिक कठिन बातों को पूरा किया जाता है या उतका अनुपालन किया जाता है? तभी बदला जाता है।

प्रवेश प्रावधान को शामिल करने का तरीका उपधारा-4-

फेंचमेंट के प्रावधान केवल या तो किये जायेंगे:- किसी कम्पनी के गठन पर लेखी में एक संसोधन द्वारा ^{या} सहमति व्यक्त की

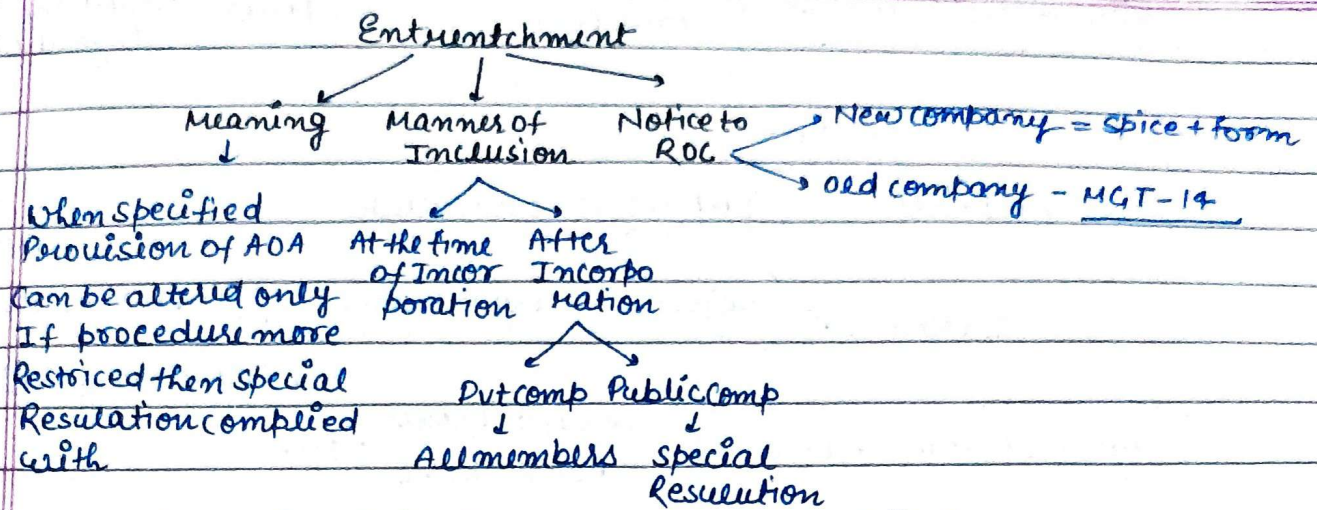
- ① निजी कम्पनी के मामले में कम्पनी के सभी सदस्यों द्वारा
- ② किसी सार्वजनिक कम्पनी के मामले में एक विशेष संकल्प द्वारा

धारा 5(4)



रजिस्ट्रार के नोटिस

कम्पनी निगमन नियम 2014 के नियम 10 के नियम के साथ पढ़ी जाने वाली उपधारा 5)



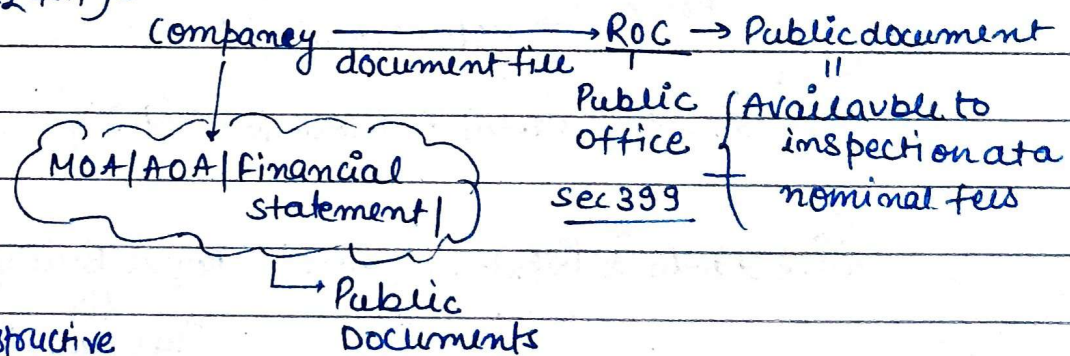
कंपनी की ROC की स्टेचमेंट के प्रवधान की सूचना देनी होगी / New company INC-32 मौजूदा कंपनी MGT-14 (30 दिनों के भीतर)

AOA अधिनियम की सूचना 1 में तालिका F, G, H, J में निर्दिष्ट संबंधित रूपों में होगा
कंपनी ऐसे कंपनी पर लागू मॉडल ले बी में निर्दिष्ट सभी या किसी भी विनियमन को अपना सकती है।

⑥ कोई भी कंपनी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद पंजीकृत हुयी है या तो स्पष्ट रूप में अपवर्जित कर सकती है या संशोधित कर सकती है या फिर उस कंपनी पर लागू होने वाले मॉडल प्रपत्रों में जो कह गया है उसे लागू कर सकती है।

- | | | |
|---|---|------|
| ① रचनात्मक सूचना का सिद्धान्त
② अल्ट्रा वायर्स का सिद्धान्त
③ आंतरिक प्रवन्धन का सिद्धान्त या टक्वडि नियम
④ इंडोर प्रवन्धन के सिद्धान्त के अपवाद | } | Imp. |
|---|---|------|

① → सिद्धान्त (रचनात्मक सूचना) -



clockwise constructive Notice

Mooz

Assumed contract

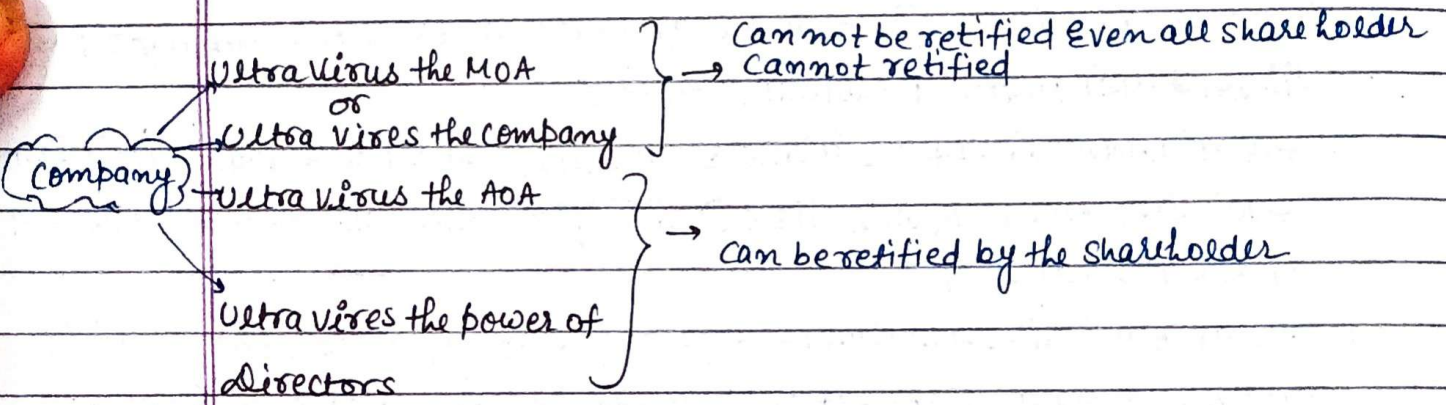
MOA/AOA - Read & Understand ✓

company

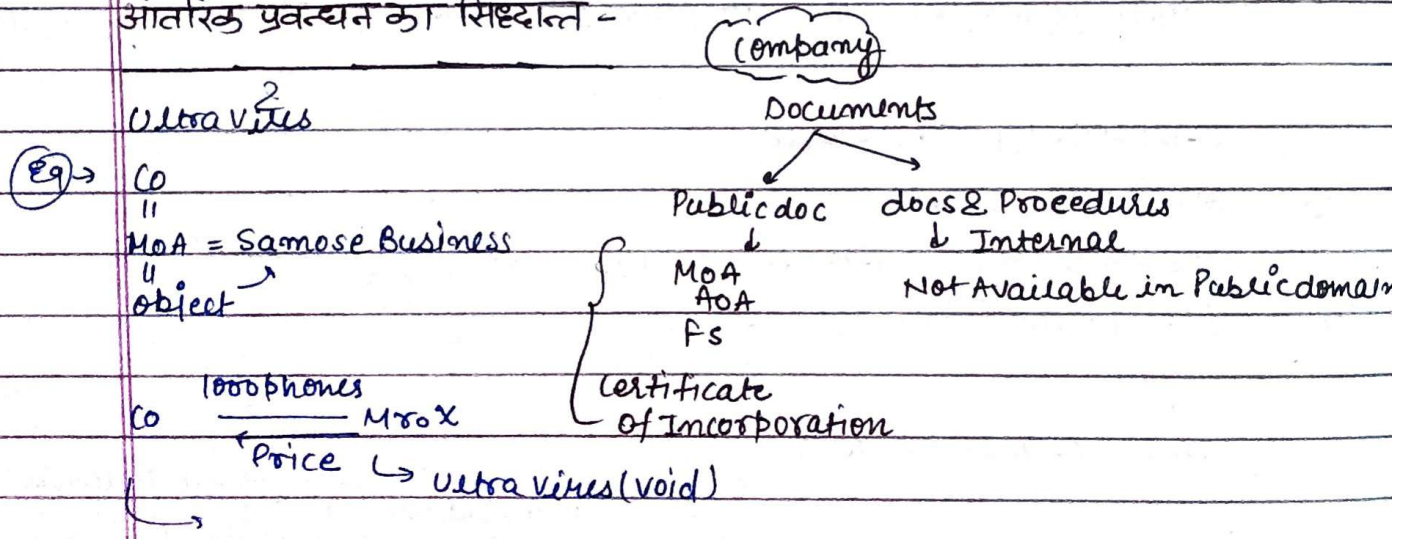
- Mooz do not denied कि मैंने पढ़ा नहीं था पढ़ा ही था फिर न पढ़ा ही

Teacher's Signature.....

अल्ट्रा वायर्स का सिद्धान्त = Ultra vires. Beyond power अपनी power के Beyond काम करना

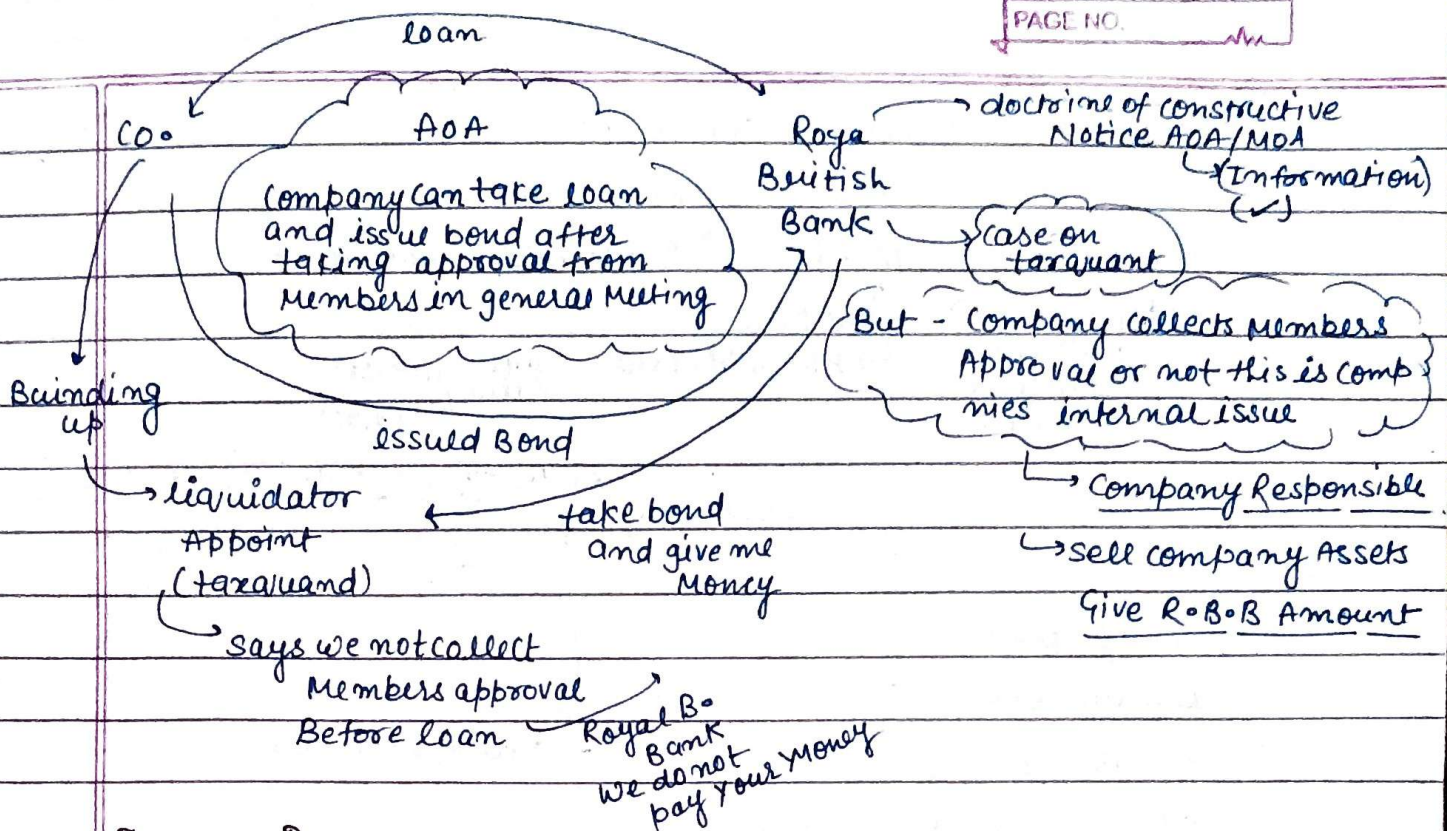


आंतरिक प्रवन्धन का सिद्धान्त -



आंतरिक प्रवन्धन का सिद्धान्त लगभग जैसा।

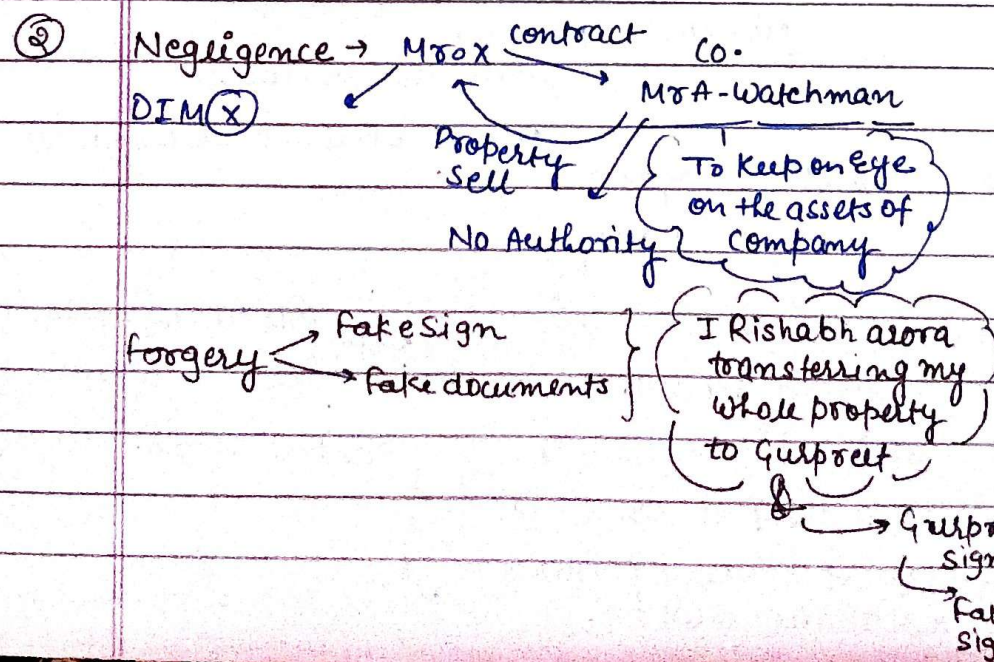
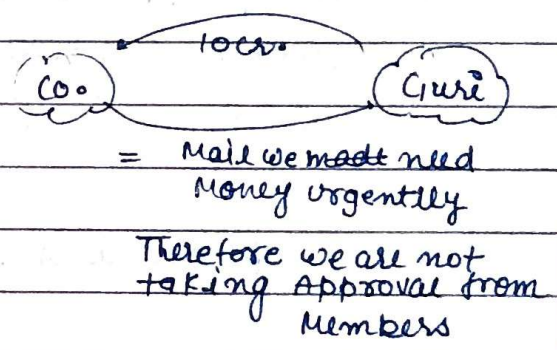
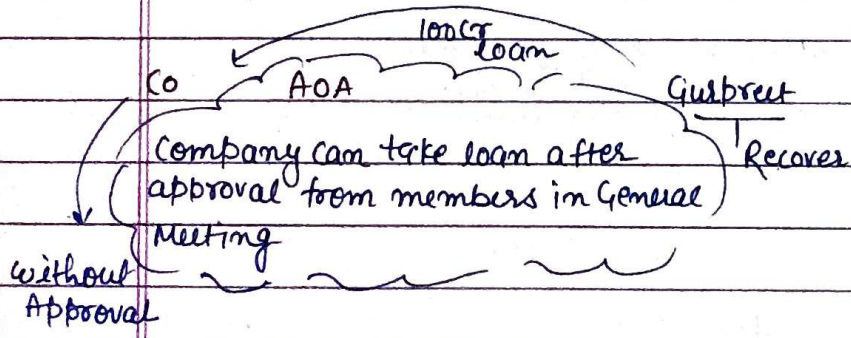
इंग्लैंड प्रवन्धन के सिद्धान्त :- जन्म Royal British
VIS
Tarquand



इंडोर प्रबंध के अपवाद :-

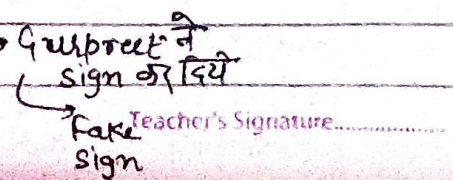
No Knowledge of Irregularity
Doctrine of Indore Mgm - Applicable

Knowledge of Irregularity
Doctrine of Indore Mgt - Not Applicable



No Recovery

fake document वतलिना



Existence of Agency (Co = Human body) - (X)

18,000 orders → Humans as Agent

Guarantee → Mr. Rai But Mr. Rai is not Agent

पैसे अभी दे दो "One plus

आपके पास
Mobile आ
जायेगा

Phone One plus - Market Value 1,00,000
18,000

Section 6

जापन अनुच्छेद आदि को बलम करने के लिये
अधिनियम

Act v/s MoA

Act v/s AOA

Act v/s Agreement

Act v/s Member Regulation

Act v/s Board of direct Resolution

→ always Act win

① अगर Act में ही follow करने को लिखा है MoA/AOA - तो उसे follow करेंगे।

② जापन, लेखा, समझौते या संकल्प में शामिल कोई भी प्रावधान, अधिनियम के प्रावधानों के विरोध की सीमा तक शून्य हो जायेगा।

(धारा 10) जापन और लेखा का प्रभाव

Company Members

Co.

Contract

MoA & AOA

(Members = को कम्पनी
(कम्पनी की Members)

MoA - Member - Share ₹ 10/- - Member

(Members bind to other Members)

Fail

Co.

10/-
Share

किसी भी सदस्य द्वारा कम्पनी की
जापन या अनुच्छेदों के अन्तर्गत देय समस्त
धानराशि कम्पनी को उसके द्वारा देय रहण होगी।

उदा० एक कम्पनी किसी सदस्य से बकाया राशि की
नमूली उतनी ही मजदूरी से कर सकती है जितनी
मजदूरी से वह राशि की वसूली करती है।

Note कोई भी उस कम्पनी और
किसी तीसरे व्यक्ति के बीच
अनुबन्ध का गठन नहीं कर सकता

Teacher's Signature

ज्ञापन में परिवर्तन (धारा 13)

कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों के अनुमोदन से अपने ज्ञापन के प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा कम्पनी ऐसे विशेष प्रस्ताव की प्रति ROC के पास दाखिल करेगी।

Change in name clause.

स्वैच्छिक परिवर्तन

(धारा 13)

विशेष संकल्प

Central Gov (ROC) का अनुमोदन

ROC के साथ (Special + Central Resolution Gov) अनुमोदन की प्रति

ROC नाम परिवर्तन को प्रमाणित करता है और INC-25 में नया COJ जारी करता है

कम्पनी निगमित नहीं है

नाम रद्द कर दिया गया है और आवेदन पर

12 months तक का अनुमति लगाया जा सकता है।

धारा 4(5)(iii) के तहत गलत जानकारी के साथ नाम अरक्षित

Central Gov (Regional Director) छुट्टी से (Suo moto) पारित करके कम्पनी को 3 महीने के भीतर नाम बदलने का आदेश देता है।

कम्पनी निगमित

Opportunity of Being heard देने बाद ROC

3 months के भीतर नाम बदलने का आदेश

पारित करके सा. ordinary रजिस्टर से हटा दे Resolution - परिसमापन के लिये याचिका

अविवार्य परिवर्तन

यदि कम्पनी किसी अन्य कम्पनी और पंजीकृत डेटाबेस के समान या मिलते-जुलते नाम से पंजीकृत है धारा (15)

डेटाबेस के स्वामी को (Central Gov) (RD) को 3 वर्ष के भीतर

Central Gov आदेश पारित करके कम्पनी को 3 months के अन्दर नाम बदलने का आदेश देगा यदि कम्पनी ऐसा करने में विफल रहती है तो (16) नया नाम अवश्य करेगा।

लेखों में परिवर्तन (धारा 14)

Normal Rule AOA change - SR pass

Pvt Ltd → Public Co.

Public → Pvt Ltd (subject to central Gov approval)

पंजीकरण के लिये AOA में परिवर्तन के 15 Days के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज ROC के पास दाखिल किये जाते चाहिये -

AOA का प्रत्येक परिवर्तन

ऐसे परिवर्तन के लिये (Co Approver)

परिवर्तित लेखों की मुद्रित प्रति

- ① पंजीकृत AOA में कोई भी परिवर्तन उसी प्रकार वैध होगा जैसे कि वह मूलतः अनुच्छेदों में था।

जापन या लेखों में परिवर्तन प्रत्येक प्रति में नोट किया जाना चाहिये Sec 15

प्रत्येक परिवर्तन - प्रत्येक प्रति नोट

चूक करने पर कम्पनी और प्रत्येक अधिकारी बिना परिवर्तन के जारी की गयी प्रत्येक प्रति के लिये 1000 के जुर्माने के लिये उत्तरदायी।

Sec 399

public document
MECA की website
₹ 100 pay

Sec 17

3 days
member of company → CO
App + fees
Request AOA / MoA Agree
117

अगर 3 दिनों में नहीं भेजती तो Default
Co + Every Officer in default
₹ 1000/day or ₹ 1 Lakh whichever is lower

(Sec 12) कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय

निगमन के 230 दिनों के भीतर और उसके बाद हर समय कम्पनी के पास एक पंजीकृत कार्यालय (RO) होगा जो संचार और सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम हो

- ② कम्पनी निगमन के 30 दिनों के भीतर ROC को RO की स्थापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

प्रत्येक कम्पनी:- प्रत्येक कार्यालय के बाहर जिसमें उसका कारोबार किया जाता है एक सुस्पष्ट स्थान पर उस इलाके में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली

भाषाओं में सुपाठ्य अक्षरों में अपना नाम / पता अंकित करना लगाता

② यदि कोई हो तो अपनी सामान्य मुहर पर अपना नाम सुपाठ्य अक्षरों में उल्कीर्ण करे

③ इसके सभी व्यावसायिक पत्रों, विज्ञापनों, पत्र-पत्रों और अन्य आधिकारिक प्रकाशनों में मुद्रित निम्नलिखित विवरण

Name, Registered office address, company corporate Identity Number, Telephone Number, Fax Number if any, E-mail, website address

④ इसी मूल पत्र, विनियम पत्र और अन्य निर्धारित दस्तावेजों पर अपना मूल नाम मुद्रित करवाये।

Note पिछले दो वर्षों के दौरान नाम परिवर्तन के मामले में पूर्व नाम लिखे या चिपकाये उलपे के मामले में ऐसे नाम के नीचे एक व्यक्ति कम्पनी ग्राहक का उल्लेख किया जाता चाहिए।

If any default = company & Every officer - 1000/day default continue But not exceeding 1 lakh

यदि ROC के पास यह मानने का उचित आधार है कि Co. कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही तो वे निर्धारित तरीके से Registered office का मौखिक स्थापन कर सकता है और यदि उप-धारा (1) की आवश्यकताओं के अनुपालन में कोई चूक पायी जाती है तो Co. के रजिस्टर से Co. का नाम हटाने के लिये कारवाय शुरू कर सकता है।

Sec 10A व्यवसाय आदि का प्रारम्भ

→ on company having share capital

Business x

Borrowing x

Unless

condition} -

निदेशक द्वारा निम्नलिखित के 180 दिनों के भीतर कर्म INC 20A में घोषणा ROC के पास दाखिल की जाती है कि घोषणा की तिथि तक प्रत्येक अभिदाता ने लिये जाने के लिये सहमत शेयरों के मूल्य का भुगतान कर दिया है।



उक्त कर्म की सामग्री को व्यावहारिक रूप से CS / CA / Cost Acc. द्वारा सत्यापित किया जायेगा।



यदि कम्पनी को किसी क्षेत्रीय विनियामक से पंजीकरण / अनुमोदन की आवश्यकता हो तो ऐसा पंजीकरण / अनुमोदन (Approval) प्राप्त कर घोषणा के साथ सलेग्न हो।

② कम्पनी ने (ROC) के वासा द्वारा के तहत प्रदान किये गये RO का सत्यापन दाखिल किया है -

if default com - 50000 & Officer 1000/day up to ₹ 1 Lakh

180⁰ दिन के अन्दर Declaration file नहीं डूयी ROC (Reginable Ground to believe) कम्पनी ने Business Start नहीं किया (ROC ऐसी कम्पनी के लिये Removal of Name का action ले सकती है)

(Sec-18) पूर्व पंजीकृत कम्पनियों का परिवर्तन

(Conversion of Company - MoA or AOA - changed)

इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी वर्ग की कम्पनी MoA और AOA में परिवर्तन करके इस अधिनियम के तहत खुद की अन्य वर्ग की कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर सकती है।

जहाँ इस धारा के तहत धमन्तिरण किया जाना आवश्यक है।

कम्पनी द्वारा किये गये आवेदन पर

ROC स्वयं को संतुष्ट करने के बाद किस्स 4 इसके प्रस्तावों का अनुपालन किया गया है। (पहले पंजीकरण की तरह ही नया COJ जारी करे।)

इस द्वारा डी अन्तर्गत Co. का वेंजीकरण किसी भी नदण, दे नदारियो, दायित्व, अनुवर्षों की प्रभावित नहीं उरेगा जो रूपांतरण से पहले किये गये उपगत किये गये थे इस तहत्तरह से लागू किये जा सकते हैं कि ऐसा वेंजीकरण नहीं किया गया था।

सहायक कम्पनी, होलिंग कम्पनी में शेयर नहीं रखेगी द्वारा - 19

कोई भी कम्पनी (स्वयं/नामोक्त व्यक्ति) अपनी होलिंग कम्पनी में कोई शेयर नहीं रखेगी कोई भी होलिंग कम्पनी अपने शेयरों को अपनी किसी भी सहायक कम्पनी को आवंटित/हस्तांतरित नहीं करेगी।

कम्पनी के शेयरों का उसकी सहायक कम्पनी को ऐसा कोई भी आवंटन हस्तांतरण अमान्य होगा अपवाद -

Case 1	Case 2	Case-3
जहाँ सहायक कम्पनी ① धारक कम्पनी के मृतक सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में ऐसे शेयर रखती है।	जहाँ सहायक कम्पनी दृष्टी के रूप में ऐसे शेयर रखती है	जहाँ सहायक कम्पनी होलिंग कम्पनी की सहायक कम्पनी बनने से पहले ही शेयरधार है
सहायक कम्पनी को वोट देने का अधिकार दिया गया		वोट देने का अधिकार X

दस्तावेजों को जारी करना द्वारा - 20

① दस्तावेजों को कम्पनी या उसके अधिकारी को कम्पनी के २० पर भेजकर दिया जा सकता है। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर सेवा, इसे इसके २० पर छोड़ दें।
ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या अन्य तरीके जो निर्धारित किये जा सकते हैं (Fax/Email)

Registe
d office

② दस्तावेजों को २०० या किसी भी सदस्य को भेजकर दिया जा सकता है
डाक, पंजीकृत, स्पीड पोस्ट, संदेशवाहक, उनके कार्यालय या पते पर विवरण
ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या अन्य साधन जो निर्धारित किये जा सकते हैं

③ सदस्य वार्षिक आम बैठक में निर्धारित शुल्क का भुगतान करके किसी विशेष माध्यम
डिलिवरी का अनुरोध कर सकते हैं।

हस्ताक्षर, कार्यवाही और अनुबंधों का प्रमाणीकरण धारा 21

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित ठे सिवाय:

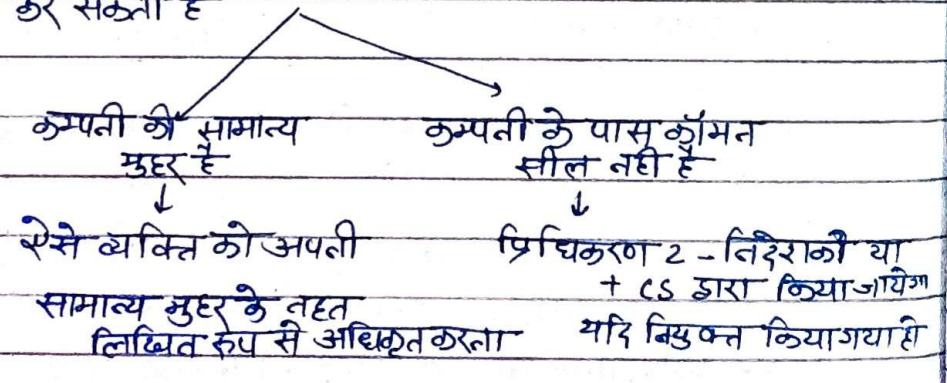
- हस्ताक्षर या कार्यवाही जिसके लिये कलर द्वारा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है
 - कम्पनी द्वारा या उसके ओर से किये गये अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये जा सकते हैं
- Key Manager personnel or
 इस संवध में बोर्ड द्वारा विधिवत प्राधिकृत कम्पनी का अधिकारी या कर्मचारी

विभिन्न विलों का निष्पादन आदि धारा 22

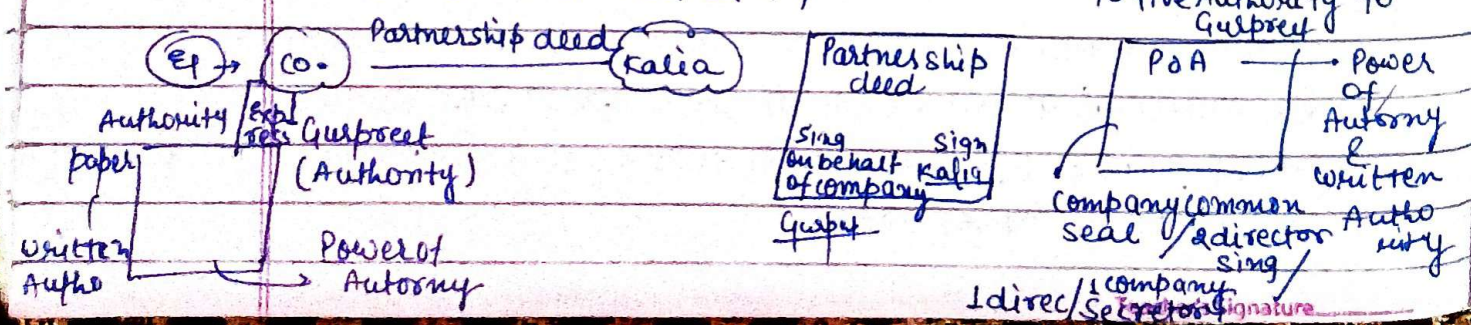
① → Bill of Exchange डुई, वचन पत्र

किसी भी व्यक्ति द्वारा कम्पनी की ओर से यदि वह स्वीकृत/आकर्षित/समर्थित किया गया तो उस व्यक्ति के पास व्यक्ति व निहित करने का अधिकार है

② → कम्पनी किसी भी व्यक्ति को अपने वकील के रूप में किसी भी स्थान (भारत या भारत के बाहर) में अपनी ओर से अन्य कार्य निष्पादित करने के लिये अधिकृत कर सकती है



③ कम्पनी की ओर से ऐसे वकील द्वारा हस्ताक्षरित और उसकी मुहर के तहत किया गया कार्य कम्पनी को बाध्य करेगा।



पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन

राज्य में कोई परिवर्तन नहीं
धारा (12)

राज्य में परिवर्तन
(धारा 13)U

मंडल प्रस्ताव

+ विशेष प्रस्ताव
+ Central
Government

अनुमोदन
(RD) को प्रत्यायोजित

कम्पनी द्वारा दोनो
राज्यों के ROC को
नोटिस जारी
किया गया

ROC ताजा COI
जारी करता है।

वही राज्य लेकिन
ROC में परिवर्तन

बोर्ड संकल्प

+ विशेष कल्प

+ Regional director
Approval

आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों
के भीतर क्षेत्रीय प्राधिकारी
को सूचित करना होगा।

कम्पनी को 60 दिनों के भीतर
ROC के पास इसे दाखिल
करना होगा।

ROC द्वारा दाखिल पुष्टिकरण
की तिथि से 30 दिनों के
भीतर प्रमाणित किया
जायेगा।

शहर कस्बे गाँव की
स्थानीय सीमाओं
के बाहर

बोर्ड संकल्प +
विशेष संकल्प

ROC Notice
(30 days)

सब ही शहर, कस्बे
गाँव के भीतर

Board Resolution only

Notice to ROC
(30 days)